

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।  
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)  
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एक्स-17(01020) / 2025/22

दिनांक:- 15/01/2025

—:आदेश:—

श्री सचिन कुमार, नर्सिंग ऑफिसर जिनकी जन्म तिथि 13.11.1990 है का दिनांक 21.09.2024 को राज्य सेवा में रहते हुये निधन हो जाने पर राज्य सेवा से दिनांक 21.09.2024 से एतद् द्वारा नाम विलोपन/पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधी/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एक्स-17(01020) / 2025/22

दिनांक:- 15/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहगढ जिला जैसलमेर।
5. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अराजपत्रित/टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. संबंधित कार्मिक के आश्रित को द्वारा क0सं0 04 के।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :11-01-2025 05:48:06

E- File/Order 2024

RajKaj Ref No.: 12868659